

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./85/2015

दर्ज दिनांक:-14.10.2015

1. मोती पता- .....प्रार्थी  
बनाम
2. पोखन पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पुरुषोत्तम मुदगल

प्राथी अभिभाषक  
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-22.04.2019

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा नोट प्रेस में खारिज किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। न्यायालय जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14.10.2015 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official